राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
*Published by Authority*
वैशाख 29, शुक्रवार, शाके 1939–मई 19, 2017
*Vaisakha 29, Friday, Saka 1939–May 19, 2017*

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

**श्रम विभाग**

अधिसूचनाएँ

**जयपुर, मई 12, 2017**

**संख्या एफ.11(1)श्रम/विधि/2017** :–राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उप–धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान जहां 5 या 5 से अधिक कर्मचारी नियोजित हो, ऐसे दुकान एवं वाणिज्यक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों से, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:–

1. महिला कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नियोजक द्वारा रात्रिकाल में नियोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. सभी महिला कर्मियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र एवं फोटो सहित पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।
3. महिला कर्मचारियों के रात्रि में कार्य करने की स्थिति में उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व नियोजक का होगा तथा महिला कर्मचारियों को रात्रि में घर से कार्यस्थल तक आने व वापिस जाने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. कार्य स्थल पर महिला कर्मियों के लिए पृथक विश्राम गृह व सामान रखने के लिए लोकर (Locker) उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. किसी गर्भवती महिला को उसकी सम्भावित प्रसूति तिथि से 3 माह पूर्व तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात् 3 माह की अवधि में रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जाएगा।
6. नियोजक द्वारा कार्यस्थल में सम्भावित यौन उत्पीडन के कृत्य या घटना होने की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

8. जिन दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजक स्वयं महिला हो तथा स्वयं महिला द्वारा ही संचालित किया जाता हो और उसमें नियोजित सभी कर्मचारी महिलायें हो, उन संस्थानों के लिए छूट की अवधि 4 वर्ष होगी।

**जयपुर, मई 12, 2017**

**संख्या एफ.11(1)श्रम/विधि/2017** :–राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उप–धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतदद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान जहां 5 या 5 से अधिक कर्मचारी नियोजित हो, ऐसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधानों से (दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान को सप्ताह में एक दिन बन्द रखने के प्रावधान से), इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:–

1. नियोजक द्वारा सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन, बारी–बारी से, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा।
2. नियोजित कर्मचारियो के कार्य के घण्टे प्रतिदिन 9 घण्टे तथा साप्ताहिक 48 घण्टे होंगे। यदि कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समयावधि से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।
3. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी से अधिसमय कार्य करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
4. सभी नियोजित कर्मचारियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जावेगा तथा उसकी प्रति क्षेत्र के निरीक्षक को प्रेषित की जावेगी एवं इसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड में रखी जावेगी।
5. यह छूट केवल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के लिए है, कर्मचारी अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत देय लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।

6. यह छूट उपरोक्त शर्तो की नियोजक द्वारा अनुपालना किये जाने तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।

7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**राज्यपाल के आदेश से,**
सी.बी.एस. राठौड,
**अति. श्रम आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।**

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।